

युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेन्स कं.लि. UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED पंजीकृत और प्रधान कार्यालय 24 वाइटस रोड चेन्ले-600014

Regd & Head Office: 24 Whites Road Chennai -600014

व्यावसायिक क्षतिपूर्ति के लिए प्रस्ताव प्रपत्र

PROPOSAL FOR PROFESSIONAL INDEMINITY

लेखापाल / सॉलिसिटर / वकील / कॉउन्सिल / वित्तिय सलाहकार को लागू

APPLICABLE TO ACCOUNTANTS/SOLICITORS/LAWYERS/COUNCELS/FINANCIAL CONSULTANTS

यह प्रस्ताव हस्ताक्षरित करें । सभी प्रश्नों के उत्तर दें । इस प्रस्ताव की पूर्णता व हस्ताक्षर प्रस्तावक या बीमाकर्ता को बीमा का संवि**दा पूर्ण** करने के लिए बाध्य नहीं 🗦 ।

This proposal must be signed. All questions must be answered. The completion and signature on this proposal does not bind the proposer or Insurer to complete a contract of Insurance.

यदि प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जगह अपर्याप्त है तो कृपया अतिरिक्त पृष्ठ का उपयोग करें तथा उसे इस प्रस्ताव के साथ संलग्न करें । "there is insufficient space to answer questions, please use additional sheets and attach to this form

जब तक प्रस्ताव स्वीकृत तथा प्रीमियम प्रदत्त नहीं हो जाता तब तक कंपनी कोई दायित्व स्वीकार नहीं करेगी।
The company does not asssume any liability until the proposal has been accepted and the premium paid.

- प्रस्तावक का नाम और पता
 Name and address of the Proposer
- कब स्थापित हुआ।
 When established
- िकए जा रहे कार्य का पूर्ण ब्यौरा (कृपया विवरणिका, सूचना पुस्तिका आदि,यदि कोई तथा उसमें प्रविष्ट संविदा की नमूना प्रति संलग्न करें)
 Full details of work carried on (Please attach brochure, information booklet, etc., if any & specimen copy of contracts entered into)

4.	क)	सभी भागीदारों/निदेशकों/प्रिन्सिपल	पूर्ण अर्हता	अर्हता प्राप्ति की	मुख्य रूप से इस क्षेत्र में कब से हैं
	a)	का पूर्ण नाम Names in full of all Partners/Directors/	Qualifications in full	तारीख Date qualified	How long Principals in this practice

- किसी भागीदार / प्रिसिंपल जो नहीं है या भर गया है के पहले कार्य के बारे में आवरण अपेक्षित है ?
 हाँ/नहीं ।यदि हाँ, कृपया निम्न विवरण दें ।
- Is the coverage required in respect of past work for any Partner/
 Principal who has left, retired or died? YES/NO If yes please give the following

पूर्ण नाम Full Name अईता Qualifications

मुख्य रूप से इस क्षेत्र मे कब से है How long Principals in this practice

5. दर्शाए

State

- क) अर्हता प्राप्त लेखापालों / वकीलों की संख्या
- a) No. of qualified Accountants/Lawyers व्यवसायिकों की सं.

No. of Professionals

लिपिक, टंकक, ऑफ़ीस बॉय आदि समेत प्रशासनिक कर्मचारियों की संख्या,

No. of Administrative personnel including clerks, typists, office boys, etc., प्रशिष्ठ को संख्या

No. of apprentice


- ख) देय वार्षिक वेतन की कुल राशि
- b) Total amount of annual wages payable
- 6. क्या आप आपके संगठन के बाहर भी ब्यस्त रहते हैं । यदि हाँ, आपके द्वारा किए गए (निर्माण की प्रतिलिपि संलग्न करें) निर्माण का प्रयोजन तथा प्रकार दर्शाएं ।

 Do you engage persons outside your organisation?

 If yes, specify the details of purpose and nature of control exercised by you over them (specimen contract be enclosed)

		Loss record for 5			6	
		वर्ष	मामला	नुकसान का प्रकार	नुकसान राशि	
		Year	Cause	Kind of loss	Amount of loss	
		19				
		19				
		19				
		19				
			,			
		19		,		
	8.		नाह के दौरान पदच्युत हुए है या आपने ह त जैसे को ध्यान में रखते हुए पदच्युत वि			
			the past 12 months dismiss			
			member of staff on account			
			please give full details)	or arry orminacion, riegico		
		orrer er rer mie (p				
 क्या आपके किसी घटना से दावा उत्पन्न होने की संभावना के किसी उपेक्षा, भूल या चूक या अस्तित्व को जानते है । 						
			any neglect, ommission or	existance of any		
			ely to give rise to a claim?	oxiotarioo or arry		
			, ,			
_			क दौरान अर्जित वार्षिक फीस :	वर्ष	फी	
	10.	क) पिछले पांच वर्षों वे	क दौरान अर्जित वार्षिक फीस : earned during the last five ye		फी Fee	
	10.	क) पिछले पांच वर्षों वे				
	10.	क) पिछले पांच वर्षों वे				
	10.	क) पिछले पांच वर्षों वे				
	10.	क) पिछले पांच वर्षों वे				
	10.	क) पिछले पांच वर्षों वे				
	10.	क) पिछले पांच वर्षों वे a) Annual fees e	earned during the last five ye			
	10.	 क) पिछले पांच वर्षों वे a) Annual fees e ख) वर्तमान वर्ष के लि 	earned during the last five ye			
	10.	क) पिछले पांच वर्षों वे a) Annual fees e खं) वर्तमान वर्ष के लि b) Estimated fee	earned during the last five ye			
	10.	 क) पिछले पांच वर्षों वे a) Annual fees e ख) वर्तमान वर्ष के लि 	earned during the last five ye			
	11.	क) पिछले पांच वर्षों वे a) Annual fees e खं) वर्तमान वर्ष के लि b) Estimated fee	earned during the last five ye अनुमानित फीस es for the current year			
	10.	क) पिछले पांच वर्षो वे a) Annual fees e ख) वर्तमान वर्ष के लि b) Estimated fee पूर्ववर्ती बीमा इतिवृत्त Previous Insurance	earned during the last five ye nv अनुमानित फीस es for the current year ce History			
	11.	क) पिछले पांच वर्षो वे a) Annual fees e ख) वर्तमान वर्ष के लि b) Estimated fee पूर्ववर्ती बीमा इतिवृत Previous Insurance आवश्यक क्षतिंपूर्ति की	earned during the last five ye ny अनुमानित फीस es for the current year ce History सीमा : किसी एक वर्ष			
	11.	क) पिछले पांच वर्षो वे a) Annual fees e ख) वर्तमान वर्ष के लि b) Estimated fee पूर्ववर्ती बीमा इतिवृत Previous Insurance आवश्यक क्षतिंपूर्ति की	earned during the last five ye nv अनुमानित फीस es for the current year ce History			
	11.	क) पिछले पांच वर्षो वे a) Annual fees e ख) वर्तमान वर्ष के लि b) Estimated fee पूर्ववर्ती बीमा इतिवृत Previous Insurance आवश्यक क्षतिंपूर्ति की	earned during the last five ye ny अनुमानित फीस es for the current year ce History सीमा : किसी एक वर्ष			

* ;



बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41 - छूट का निषेध Section 41 of Insurance Act, 1938 – Prohibition of Rebates

- 1) कोई भी व्यक्ति भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संबंध में किसी भी व्यक्ति को बीमा लेने या नवीनीकृत करने या जारी रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पालिसी पर देय पूरे कमीशन की या उसके किसी भाग की अथवा पालिसी पर दिखाए गए प्रोमियम की कोई छूट या ऐसी छूट के सिवाय जो बीमाकर्ता की विवरण पत्रिकाओं या सारणियों के अनुसार अनुमित दी जा सकती है, न तो देगा और न देने का प्रस्ताव करेगा और न पालिसी लेनेवाला या उसे नवीकृत करानेवाला या जारी रखनेवाला कोई भी व्यक्ति किसी छूट को स्वीकार नहीं करेगा।
 - No person shall allow or offer to allow either directly or indirectly as an inducement to any person to take out or renew or continue insurance in respect of any kind of risk relating to lives or property in India, any rebate of the whole or part of the commission payable or any rebate of the premium shown on the policy, nor shall any person taking out or renewing or continuing a policy accept any rebate, except such rebate as may be allowed in accordance with the prospectus or tables of the Insurers.
- 2) इस धारा के प्रावधानों के अनुपालन करने में चूक करने वाले किसी भी व्यक्ति को दस लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
 - Any person making default in complying with the provisions of this section shall be punishable with fine which may extend to ten lakh rupees.